कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 11 / 2022 / 2648 दिनांक : 15 / 06 / 2023

संशोधित आदेश

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री नीलम शर्मा, लिपिक ग्रेड–II को पूर्व में स्वीकृत ए.सी.पी. / चयनित वेतनमान को राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं एक अन्य आदेश क्रमांक प.15(88)वित्त / नियम / 2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसरण में एतत् द्वारा उक्त वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित / स्वीकृत किया जाता हैं:–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान / एसीपी का विवरण		09 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक तथा उक्त दिनांक को प्राप्त मूल वेतन एवं पे–लेवल	विघमान पे–लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय एसीपी में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे–लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	उक्तानुसार संशोधित मूलवेतन की अन्तर राशि जो व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय हैं। (कॉलम सं0 4–7)	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन					
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री नीलम शर्मा, लिपिक ग्रेड–II, सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम सं0 03, जयपुर महानगर–II	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम स्था / 72 / 2017 / 6766 दि. 22.12.2020	02.05.2020 (09 वर्ष) 26400 / – (L-06)	02.05.2020 (09 वर्ष) 25500 / – (L-05)	26300 (L-05)	02.05.2020 को (09 वर्ष) 26300 / – रूपये प्रतिमाह Pay Matrix L-08	100 / –	01.07.2020

नोटः–

01. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के वित विभाग के जारी आदेश दिनांकित 30.05.2022 के अनुसार संशोधित एसीपी में पुनः निर्धारित मूल वेतन की राशि का अन्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में कॉलम सं0 08 के अनुसार देय होगा तथा यह व्यक्तिगत वेतन उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि से समायोजित किया जावेगा।
02. उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के वित विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांकित 30 मई 2022 के अनुसार व्यक्तिगत वेतन पर मंहगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होने के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2022 के मध्य पूर्व में स्वीकृत की गई एसीपी की तिथि से दिनांक 27.02.2022 तक भुगतान किये जा चुके मंहगाई भत्ते व मकान किराये भत्ते की राशि वसूलनीय नहीं होगी तथा दिनांक 27.02.2022 के पश्चात् अधिक आहरित किये गये मंहगाई भत्ते तथा मकान किराये भत्ते की नियमानुसार वसूली की जावेंगी एवं उक्त वसूली का कर्मचारी के सेवा अभिलेख में नियमानुसार इन्द्राज भी किया जावेगा।

sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

03. कर्मचारी को दिनांक 01.07.2022 को एल–**6** में स्वीकृत वेतनवृद्धि से हुए आधिक्य भुगतान की वसूली नियमानुसार की जावें।
04. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका मे किया जावे।

—sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 11 / 2022 / 2649 दिनांक : 15/06/2023

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय .... जयपुर महानगर–द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. संबंधित कर्मचारी ....।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय